By- D. K. Singh
Dept. of History

महात्मा गाँधी के राज्य सम्बन्धी विचार

महात्मा गाँधी का राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यद्यपि वे प्लेटो, अरस्तू की तरह परम्परागत विचारक नहीं थे फिरभी स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान अपने भाषणों, समय समय पर लिखे गये पुस्तकों एवं लेखों के माध्यम से जीवन के लगभग सभी मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने राज्य के स्वरूप को लेकर भी गंभीर चर्चायें की एवं अपने विचार रखे जो द्रष्टव्य है।

अपने राजनीतिक चिन्तन के आरंभिक दौर में गाँधी कभी राज्य के विरोधी थे। मार्क्सवादियों एवं अराजकतावादियों के समान वे एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गाँधी जी सर्वप्रथम दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते है क्योंकि उनका मानना है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर होता है लेकिन राज्य यह शक्ति के बल पर हस्तक्षेप करता है। दूसरे अर्थों में राज्य हमें कोई भी कार्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दंड के भय एवं कानून की शक्ति के बल पर करने को बाध्य करता है।

गाँधीजी द्वारा राज्य के विरोध का एक कारण यह भी है कि वह हिंसा एवं पाशविक शक्ति पर आधारित होता है। उनका मानना है कि राज्य कितना भी लोकतंत्रात्मक क्यों हो उसका आधार सेना और पुलिस का पाशविक बल होता है। गाँधी जी अहिंसा के पुजारी थे है अतः वे राज्य का इसलिए विरोध करते है कि वह हिंसामूलक होता है।

गाँधी जी द्वारा राज्य के विरोध का तीसरा कारण इसके अधिकारों में निरंतर वृद्धि होना है वे इसे व्यक्ति के विकास के लिए बाधा मानते है। इसके कारणों के आधार पर गाँधी राज्य के विरोधी थे।

P-1

Scanned with CamScanner

राज्य का विरोधी होते हुये भी गाँधी जी अराजकतावादी विचारक क्रोपाटकिन एवं बाकुनिन की तरह हिंसा द्वारा राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। गाँधी वस्तुतः लियो टॉलस्टाय तथा विलियम गॉडविन की के सदृश बौद्धिक अराजकतावादियों व राज्य के नियंत्रकारी अधिकारों में कटौती चाहते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति की नैतिकता इतनी उच्च हो जाये कि अपराध पर लगाम लग जायेगा तथा अपराध नहीं पूर्णतः बंद हो जायेंगे। यदि छिट-पुट अपराध होंगे भी तो उनका निर्णय ग्राम पंचायतें कर लिया करेंगी। इस प्रकार के समाज में सभी अपने शासक होंगे तथा वे इस अपने ऊपर इस प्रकार शासन करेंगे कि दूसरों के मार्ग में बाधक न बनें।

बौद्धिक अराजकतावाद

सिद्धान्त रूप में राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी व्यवहार में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, अतएव समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। एक बार जब राज्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं तब वे राज्य के लिए आदर्श स्थिति की कल्पना करते हैं। अपने आदर्श राज्य को कभी-कभी गाँधी जी रामराज्य की के सदृश मानते हैं लेकिन इस संदर्भ में यह देखने लायक है कि उनका आदर्श राज्य प्लेटो के रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य क न होकर बल्कि प्लेटो द्वारा लॉज अपने पुस्तक लॉज के उप-आदर्शात्मक राज्य के सदृश व्यवहारिक राज्य है। अपने आदर्श राज्य में गाँधी जी ने निम्नलिखित तत्वों का समावेश किया जो कमोवेश आदर्श

आदर्श राज्य

राज्य का स्वरूप निश्चित करते हैं —

(1) अहिंसात्मक राज्य - गाँधीजी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से भी पुकारते हैं। गाँधीजी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा और साथ ही पुलिस जेल, सेना तथा न्यायालय जैसी शासन की बाध्यकारी सत्तायें भी रहेंगी। प्रश्न उठता है कि जब ये सारी सत्तायें रहेंगी तो फिर समाज या राज्य अहिंसक कैसे रहेगा। इसका जवाब देते हुये गाँधी कहते हैं कि यह इस दृष्टि में अहिंसक होगा कि इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित एवं उत्पीड़ित करने के लिए नहीं वरन् उसकी सेवा करने के लिये किया जायेगा। आगे वे कहते हैं कि इस आदर्श राज्य या समाज में कभी-कभी समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दबाव का प्रयोग करना पड़ सकता है, किंतु इस दबाव का रूप सत्याग्रह का होगा, हिंसा का नहीं।

(2) शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप - गाँधी के आदर्श राज्य में शासन का रूप पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार होगा बल्कि वह सक्रिय रूप से शासन संचालन में भी भाग लेगा। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी।

(3) विकेन्द्रीकृत शासन - गाँधीजी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेन्द्रीकृत शासन है। गाँधीजी सम्पूर्ण भारत में प्राचीन ढंग के स्वतंत्र एवं स्वावलम्बी ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे जिसका आधार ग्राम पंचायतें होंगी। विकेन्द्रीकरण को और प्रभावी बनाने के लिये गाँधीजी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी इकाईयाँ जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधान मंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो जिससे सत्ता का समस्त केन्द्र ग्राम पंचायतें ही बनी रहें। इस प्रकार की

Scanned with CamScanner

व्यवस्था से गाँवों में स्वशासन एवं स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न होगी और वे वास्तविक अर्थ में स्वतन्त्र होंगे।

(4) आर्थिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण - गाँधीजी के आदर्श राज्य में आर्थिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया गया है। आदर्श राज्य में विशाल तथा केन्द्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त कर दिये जायेंगे और उनके स्थान पर कुटीर उद्योग चलाये जायेंगे। उन मशीनों का प्रयोग किया जा व्यक्तियों के लिये सुविधाजनक होगी, किंतु मशीनों को मानव श्रम के शोषण का साधन नहीं बनने दिया जायेगा। हर गाँव अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुयें स्वयं उत्पन्न करेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा एवं शोषण का अन्त हो जायेगा।

(5) नागरिक अधिकारों पर आधारित - गाँधी जी का आदर्श राज्य स्वतन्त्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों से युक्त होगा। इस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और संघ निर्माण की स्वतन्त्रता होगी। राज्य, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग आदि भेदभाव से ऊपर उठकर सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार मुहैया करायेंगे।

(6) निजी सम्पत्ति का अस्तित्व - इस आदर्श राज्य में निजी सम्पत्ति का अस्तित्व होगा किंतु सम्पत्ति का स्वामी अपनी सम्पत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिये नहीं वरन् समस्त समाज के कल्याण के लिये करेंगे। वे यह समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो सम्पत्ति है उनका वास्तविक स्वामी समाज ही है और समाज के द्वारा उन्हें इस सम्पत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है।

(7) प्रत्येक नागरिक के लिए श्रम अनिवार्य - इस आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिये अपने भरण-पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य

होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिये दूसरों की कमाई हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा। उन्होंने बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिये भी थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा बनाया। सभी के लिए कुछ न कुछ शारीरिक श्रम सुनिश्चित करने के पीछे उनका ध्येय समाज में वास्तविक समानता स्थापित करना था।

(8) वर्ण व्यवस्था - गांधी जी के आदर्श राज्य में वर्ण व्यवस्था मौजूद रहेगा। प्राचीन काल की भाँति समाज चार वर्णों - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होगा। प्रत्येक वर्ण वंश परम्परा के अनुसार के अपना काम करेगा परन्तु और उन्हें बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार मिलेंगे। गांधी जी के आदर्श व्यवस्था में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे किंतु उनका मुख्य कार्य क्षेत्र घर ही होगा।

(9) अस्पृश्यता का अंत - गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे अतः उनके आदर्श राज्य में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

(10) धर्मनिरपेक्षता - गांधी के राज्य में किसी एक विशेष धर्म को आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधायें प्राप्त होंगी।

(11) गोवध निषेध - गांधी जी भारत जैसे राज्य में धार्मिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक आवश्यक मानते थे। अतः उनके आदर्श राज्य में गौ हत्या को निषेध किया गया है।

(12) मद्य निषेध - गांधी जी मद्य और अन्य मादक पदार्थों के प्रयोग को व्यक्तियों के ~~चारित्रिक~~ चारित्रिक पतन के लिए जिम्मेवार मानते थे। अतः उनके आदर्श राज्य में न तो मादक वस्तुओं का उत्पादन होगा और न उनकी बिक्री।

(13) नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा — गाँधी जी के आदर्श राज्य में गाँव-गाँव और मुहल्ले-मुहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलम्बी पाठशालायें होंगी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जायेगी।

(14) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांतिप्रियता — गाँधीजी वसुधैवकुटुम्बकम् की धारणा में विश्वास करते थे। अत: उनका आदर्श राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करेगा।

उपरोक्त तत्वों से लक्ष्य करके गाँधी ने जिस आदर्श राज्य का खाका तैयार किया उसके बारे में आलोचकों का मानना है कि ऐसा राज्य कल्पनालोक में ही संभव है। इनको जवाब देते हुये गाँधीजी कहते हैं वह आदर्श, आदर्श क्या जिस तक पहुँचा जा सके, आदर्श तो एक मानक होता है जिस तक पहुँचने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कमोवेश यही धारणा प्लेटो की भी अपने आदर्श राज्य को लेकर रही है।

—•—